भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1399
जिसका उत्तर मंगलवार 25 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

नैनी क्षेत्र में बंद उद्योग

1399. श्री श्यामा चरण गुप्त:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नैनी क्षेत्र में उद्योगों (सरकारी और गैर-सरकारी) को बंद होने से बचाने तथा बंद उद्योगों को पुन: चालू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रमिकों में मजदूरी की बकाया राशि बढ़ने के कारण असंतोष और आक्रोश है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इससे निपटने के लिए कौन सी योजना बना रही है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के पास फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं है। भारी उद्योग विभाग की भूमिका इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उद्यमों के प्रशासन तक सीमित है। भारी उदयोग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उद्यम अर्थात त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लि. (टीएसएल) तथा भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेसर्स लि. (बीपीसीएल) नैनी, इलाहाबाद में स्थित हैं। तथापि, टीएसएल वर्ष 2013 से परिसमापनाधीन है और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक द्वारा कंपनी के परिसर को सील कर दिया गया है। जहां तक बीपीसीएल का संबंध है, सरकार ने इस कंपनी के 100 प्रतिशत रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' निर्णय ले लिया है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 28.09.2016 के सरकार के निर्णय के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की नैनी, इलाहाबाद इकाई को इसके 125 कर्मचारियों सहित 01.02.2017 से नैनी ऐरोस्पेस लि. (हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लि., रक्षा मंत्रालय की सहायक कंपनी) को अंतरित कर दिया गया है।

(ग): जी नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

****